# FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत** जिला कलक्टर, **मुकाम** नागौर

**अपीलान्ट** — मेघाराम पुत्र श्री तुलछाराम जाति नाई निवासी इश्वरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर

**बनाम**

**रेस्पोडेंटस** — तहसीलदार खींवसर वगैरह

**किस्म मुकदमा** म्यूटेशन अपील **संख्या...** 52 **सन्** 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.04.2018 | वकील अपीलांट ने यह म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अधीन ग्राम इश्वरनावडा तहसील खींवसर के म्यूटेशन संख्या 543 में तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब हो। अधिनस्थ मूल अभिलेख तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15.5.18 को प्रस्तुत हो। <br><br> **जिला कलक्टर,नागौर** | |
| 28.5.18 | वकील अपीलांट श्री नरेन्द्र सारस्वत ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन को खारिज करवाने के लिए एवं पटवारी हल्का ने तहसीलदार खींवसर के समक्ष पुनर्विलोकन (रिव्यू) आवेदन प्रस्तुत किया है। एक ही आदेश के विरुद्व अपील पुनर्विलोकन आवेदन पेश नहीं हो सकते ऐसी स्थिति में अपीलांट अपने पुनः अपील पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन के मद्देनजर यह अपील पत्रावली आज ही पेशी पर लेकर जरिये विड्रावल खारिज करने का निवेदन किया है। <br><br> वकील अपीलांट के आवेदन एवं बहस पर मनन किया गया। वकिल अपीलांट का कथन उचित होने से अपीलांट के पुनः अपील प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अपीलांट के निवेदन पर जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल म्युटेशन लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। <br><br> (कुमार पाल गौतम) <br> जिला कलक्टर नागौर <br> कलक्टर, नागौर | |